इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 285] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 जुलाई 2014—आषाढ़ 19, शक 1936

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2014

क्र. 13061-वि.स.-विधान-2014..—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 14 सन् 2014) जो विधान सभा में दिनांक 10 जुलाई 2014 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी, प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १४ सन् २०१४

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, २०१४

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १० में, उपधारा (१) के परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अपूर्ण विराम स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि सत्रह लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक क्षेत्र में, अधिकतम पचासी वार्ड हो सकेंगे"

निरसन और व्यावृत्ति

३. (१) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक १ सन् २०१४) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.

४. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में, धारा ५५ में, उपधारा (१) में, शब्द "एक मास" के स्थान पर, शब्द "पन्द्रह दिन" स्थापित किए जाएं.

(२) धारा ८६ में, उपधारा (१), (२) और (४) के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(१) राज्य सरकार, परिषद् के लिए धारा ८७ या ८८ के अधीन अधिकारियों की व्यवस्था करने के प्रयोजन से, राज्य के लिए निम्नलिखित नगरपालिक सेवाओं का विहित रीति में गठन कर सकेगी जो,—

(क) राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा;

(ख) राज्य नगरीय स्वच्छता सेवा;

(ग) राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा;

(घ) राज्य नगरीय वित्त सेवा;

(ङ) राज्य नगरीय राजस्व सेवा;

कहलाएंगी.

(२) राज्य सरकार, उपधारा (१) के अधीन राज्य नगरपालिक सेवाओं के सदस्यों के लिए, भरती, अर्हता, नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान तथा भत्ते चाहे वे किसी नाम से जाने जाते हों, के संबंध में नियम बना सकेगी; और ऋण, पेंशन, अवकाश, उपदान, वार्षिकी, कारुण्य निधि, भविष्य निधि, पदच्युति, सेवा से हटाने, आचरण, विभागीय दण्ड, अपीलें तथा अन्य सेवा शर्तों के संबंध में, शासकीय सेवकों को लागू होने वाले, समय-समय पर यथासंशोधित नियम, राज्य की नगरपालिक सेवाओं के सदस्य को लागू होंगे.

(४) राज्य सरकार, राज्य नगरपालिक सेवाओं के किसी भी सदस्य को एक नगरपालिका से दूसरी नगरपालिका में स्थानांतरित कर सकेगी.

(३) धारा ८७ में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(२) परिषद् का मुख्य नगरपालिका अधिकारी राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होगा और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा.".

(४) धारा ८८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

राज्य की नगरपालिक सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति.

"८८. प्रत्येक परिषद् में, धारा ८६ की उपधारा (१) के अधीन नगरपालिक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार, उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए की जाएगी."

(५) धारा ८९ में, उपधारा (१) और (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं अर्थात् :—

"(१) धारा ८६ की उपधारा (१) के अधीन राज्य नगरपालिका सेवा का गठन होने तक या जब ऐसी सेवा का कोई सदस्य नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो तो, राज्य सरकार, ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए सरकार के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगी या उसी श्रेणी के किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी जो ऐसी सेवा का सदस्य होने के लिए अर्ह हो.

(२) राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या यदि परिषद् के किसी विशेष सम्मिलन में, आधे से अधिक निर्वाचित पार्षद उस प्रभाव के संकल्प के पक्ष में मत दें, तो राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी की सेवाएं, जो कि उपधारा (१) के अधीन परिषद् में प्रतिनियुक्त किया गया हो, वापस ले सकेगी.".

(६) धारा ९० में,—

(एक) उपधारा (२) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अपूर्ण विराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी श्रेणी की नगरपालिक परिषद् के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के तत्समान वेतनमान का होना चाहिए.";

(दो) उपधारा (३) में, पूर्ण विराम के स्थान पर अपूर्ण विराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु इस प्रकार अभिनियोजित व्यक्ति उसी श्रेणी की नगरपालिक परिषद् के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के तत्समान वेतनमान का होना चाहिए.".

(७) धारा ९१ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अधिकारी या इंजीनियर के छुट्टी पर रहने की अवधि में व्यवस्था.

"९१. धारा ९० के उपबंध अन्य नगरपालिक सेवाओं के सदस्यों के छुट्टी पर रहने के दौरान व्यवस्था करने के लिए उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि वे मुख्य नगरपालिका अधिकारी के मामले में लागू होते हैं.".

(८) धारा ९४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

कर्मचारीवृंद की नियुक्ति.

"९४. (१) प्रत्येक परिषद्, धारा ९५ के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए तथा धारा ८६ की उपधारा (१) के अधीन राज्य नगरपालिक सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति के अतिरिक्त, ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी नियुक्त कर सकेगी, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार उसके कर्तव्यों के सुचारू रूप से पालन के लिए आवश्यक तथा उचित हों.

(२) परिषद् ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी कि राज्य सरकार इस संबंध में अनुमोदित करे, अस्थायी स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त कर सकेगी.

(३) राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, कार्यालय अधीक्षक और लेखापाल की नियुक्ति राज्य सरकार की पुष्टि के अध्यधीन होगी और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, ऐसे किसी भी पद का या अन्य किसी ऐसे अधिकारी या सेवक के पद का जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए, सृजन नहीं किया जाएगा या उसे समाप्त नहीं किया जाएगा और उनकी उपलब्धियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा ऐसे पद पर की जाने वाली प्रत्येक नियुक्ति और उससे पदच्युति इसी प्रकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगी.

(४) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपधारा (३) में वर्णित या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी अधिकारी को एक मास से अधिक कालावधि का निलंबन आदेश नहीं दिया जाएगा और ऐसे किसी भी अधिकारी द्वारा दिया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा.

(५) जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे, उपधारा (३) में वर्णित या उसके अधीन विनिर्दिष्ट नगरपालिक अधिकारियों तथा सेवकों के अतिरिक्त अन्य नगरपालिक अधिकारियों तथा सेवकों को नियुक्त करने की शक्ति प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल में निहित होगी.

(६) राज्य सरकार, उपधारा (१) और (२) में वर्णित परिषद् के किसी अधिकारी या सेवक को, उसी श्रेणी की किसी अन्य परिषद् में स्थानान्तरित कर सकेगी.

(७) राज्य सरकार उन अधिकारियों तथा सेवकों के वर्ग या श्रेणियां विहित कर सकेगी जिन्हें मुख्य नगरपालिका अधिकारी, प्रेसीडेंट-इन-काउन्सिल, विहित प्राधिकारी या इस संबंध में सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा जिसमें निन्दा के अतिरिक्त अन्य कोई विभागीय दण्ड दिया गया हो.

(८) उपधारा (७) के अधीन की गई अपील की सुनवाई करने वाले प्राधिकारी को उस दण्ड को, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, रद्द करने या कम करने की शक्ति होगी.

(९) प्रेसीडेंट-इन-काउन्सिल, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से, विषय विशेषज्ञों और कार्मिकों को विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए संविदा पर नियुक्त कर सकेगा और ऐसे विषय विशेषज्ञों और कार्मिकों की संविदा पर नियुक्ति की रीति तथा निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १० किसी नगरपालिक निगम में वार्डों की संख्या और उनके विस्तार के अवधारण का उपबंध करती है. इस धारा के अधीन किसी भी नगरपालिक निगम में अधिकतम सत्तर वार्ड हो सकेंगे. यह उपबंध वर्ष १९९४ से प्रभावशील है. २० वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् अधिकांश नगरपालिक निगमों के अनेक नगरों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है. इसी प्रकार, नगरपालिक सीमाओं में विस्तार के कारण इन्दौर और भोपाल जैसे नगरों की जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से वार्डों में जनसंख्या के विस्तार के कारण उनका प्रबंध कठिन हो गया है. अतएव, सत्रह लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक क्षेत्रों में वार्डों की संख्या की अधिकतम सीमा को पुनरीक्षित करते हुए पचासी किया जाना अपरिहार्य हो गया है.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अत: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक १ सन् २०१४) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान-मण्डल का एक अधिनियम, साधारण निर्वाचन के पश्चात् परिषदों का प्रथम सम्मेलन बुलाने से संबंधित मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ५५ के उपबंध को संशोधित करते हुए लाया जाए. विद्यमान उपबंध के अधीन परिषद् का प्रथम सम्मेलन एक मास के भीतर बुलाया जाना अपेक्षित होता है जो कि अत्यधिक है और यह किसी परिषद् का कार्यकाल प्रारंभ होने की अवधि को भी प्रभावित करता है. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ में ऐसा सम्मेलन पन्द्रह दिन के भीतर बुलाने का उपबंध है. अतएव, इस असंगति को दूर करने की दृष्टि से, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है.

३. उपरोक्त के अलावा, नगरपालिक सेवाओं को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से विद्यमान सेवाओं अर्थात् राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा, राज्य नगरीय स्वच्छता सेवा तथा राज्य नगरीय अभियांत्रिकी सेवा के नामों को संशोधित करते हुए राज्य नगरीय वित्त सेवा तथा राज्य नगरीय राजस्व सेवा के नाम से दो नई नगरपालिक सेवाएं गठित किया जाना प्रस्तावित है. यह भी प्रस्तावित है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी की अनुपस्थिति में राज्य सरकार समान हैसियत के किसी अधिकारी को मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी. इस उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयोजन से नगरपालिक अधिकारियों तथा सेवकों से संबंधित अधिनियम की धारा ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१ तथा ९४ में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं.

४. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ३ जुलाई, २०१४.

कैलाश विजयवर्गीय
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, २०१४ के जिन खण्डों द्वारा विधायिनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड-४ (१)—नगरपालिका सेवाओं का गठन करने,

(२)—नगरपालिक सेवाओं के सदस्यों के लिये भर्ती, अर्हता, नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान तथा भत्ते नियत किए जाने,

खण्ड-८ (२)—अस्थायी स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किए जाने संबंधी निर्बन्धन एवं शर्तें निर्धारित किए जाने,

(७)—उन अधिकारियों तथा सेवकों के वर्ग या श्रेणियाँ सुनिश्चित किए जाने जिन्हें मुख्य नगरपालिका अधिकारी, प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल विहित प्राधिकारी या इस संबंध में सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी के ऐसे विनिश्चिय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार जिसमें निन्दा के अतिरिक्त अन्य कोई विभागीय दण्ड दिया गया हो, तथा

(९) विशेषज्ञों और कार्मिकों की संविदा पर नियुक्ति की रीति तथा निर्बन्धन और शर्तों के संबंध में, राज्य सरकार नियम बना सकेगी. उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप के होंगे.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ की धारा १० किसी नगरपालिक निगम में वार्डों की संख्या और उनके विस्तार के अवधारण का उपबंध करती है. इस धारा के अधीन किसी भी नगरपालिक निगम में अधिकतम ७० वार्ड हो सकेंगे. यह उपबंध वर्ष १९९४ से प्रभावशील है. २० वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् अधिकांश नगरपालिक निगमों के अनेक नगरों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है. इसी प्रकार नगरपालिक सीमाओं में विस्तार के कारण इन्दौर और भोपाल जैसे नगरों की जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है जिसके परिमाणस्वरुप बहुत से वार्डों में जनसंख्या में विस्तार के कारण उनका प्रबंध कठिन हो गया है. अतएव १७ लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक क्षेत्रों में वार्डों की संख्या की अधिकतम सीमा को पुनरीक्षित करते हुए ८५ किया जाना अपरिहार्य हो गया था. विधान सभा का सत्र चालू नहीं था. अत: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक १ सन् २०१४) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था।

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.